न्यायालय समाहर्त्ता, सहरसा

विविध वाद संख्या– 14/2019,

साजदा खातुन बनाम राज्य।

09.12.2019

–::आदेश::–

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही का प्रारंभ आवेदिका की ओर से दाखिल आवेदन के आलोक में किया गया है। आवेदिका द्वारा अपना आवेदन जप्त टैंकर No. JH 17E 2126 को मुक्त करने संबंधी C.W.J.C. No. 10612/2018 में उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10.04.2019 को पारित आदेश की प्रति लगाकर दाखिल किया गया है। आवेदिका का कहना है कि उक्त टैंकर को मुक्त करने के संबंध में पूर्व में C.W.J.C. No. 20123/2016 में पारित आदेश के आलोक में अधिग्रहण वाद संख्या– 05/2017, के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है।

अधिग्रहण वाद संख्या– 05/2017, में दिनांक 23.06.2015 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश से अनुमंडल पदाधिकारी सदर सहरसा को निदेशित किया गया कि एक सरकारी कर्मी से बंध पत्र व वाहन के मूल्य का 25% राशि बैंक गारंटी प्राप्त कर उक्त जप्त वाहन को मुक्त किया जाय।

आवेदक का आगे कहना है कि किसी सरकारी कर्मी के द्वारा बंध पत्र दाखिल करने हेतु तैयार नहीं होने व आवेदिका के वृद्ध महिला होने के कारण वे बैंक गारंटी से सबंधित उक्त शर्तो को वह पूरा नहीं कर पायी। अतः आवेदिका द्वारा पुनः माननीय उच्च न्यायालय पटना में C.W.J.C. No. 10612/2018 के अन्तर्गत मामला दाखिल किया गया। जिसके अन्तर्गत माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा आवेदिका को सुनने के पश्चात् दिनांक 10.04.2019 के पारित आदेश से अधिग्रहण वाद संख्या– 05/2017, के अन्तर्गत दिनांक 23.06.2017 को पारित आदेश को अपास्त कर दिया गया। साथ ही मामले की पुनः सुनवाई कर इस संबंध में नये सिरे से आदेश पारित किये जाने हेतु निदेशित किया गया।

इस संबंध में सरकारी अधिवक्ता से भी मंतव्य की मांग की गयी। सरकारी अधिवक्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना, द्वारा C.W.J.C. No. 10612/2018, में पारित आदेश

" To protect the interest of the State sufficient sureties may be obtained from the petitioner by calling her to provide any immovable property valued to the extent of the value of the vehicle which may be assessed in accordance with law. In some of the cases, this court has while passing the provisional order for release of the vehicles provided a condition that one of the sureties will be a local person having sufficient immovable property in his name."

का उल्लेख करते हुए उक्त के आलोक में आदेश पारित किये जाने संबंधी मंतव्य दाखिल किया गया।

अतः आवेदिका के तरफ से समर्पित पक्ष एवं सरकारी अधिवक्ता से प्राप्त मंतव्य के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, सहरसा को निदेशित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन हेतु वाहन के मालिक की उचित पहचान कर एवं संबंधित पुलिस पदाधिकारी से समन्वय कर इस शर्त्त का बंध पत्र वाहन मालिक से प्राप्त कर लेंगे कि संबंधित न्यायालय अथवा पुलिस केश में साक्ष्य हेतु आवश्वयक्ता पड़ने पर अविलम्ब उक्त वाहन उपलब्ध कराया जायेगा। संबंधित न्यायालयों में वाद की समाप्ति तक उक्त वाहन की बिक्री अथवा स्वरूप परिवर्त्तन नही किया जायेगा। इसके अतिरिक्त वाहन मालिक को एक स्थानीय व्यक्ति जिनके नाम से उक्त वाहन के मूल्य से अधिक अचल संपत्ति हो, के द्वारा भी इस आशय का बंध पत्र अनुमंडल पदाधिकारी सदर को समर्पित करना होगा। इस निदेश के साथ जप्त वाहन को मुक्त करने का आदेश दिया जाता है। अनुमंडल पदाधिकारी अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

लेखापित एवं शुद्धिकृत

समाहर्त्ता,
सहरसा।

समाहर्त्ता,
सहरसा।

ज्ञापांक 32 /न्याया०, सहरसा, दिनांक 14.01.20

प्रतिलिपिः– अनुमंडल पदाधिकारी, सदर सहरसा, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।
14/01/20